न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 2/2021 **दायर दिनांकः 18.08.2021**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी, अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

पार्टी नं. 1

1. विजय कुमार सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बृजकिशोर सिंह जाति राजपूत निवासी अटरू थाना/तहसील अटरू जिला बारां राज0।

पार्टी नं0 2

1. बलवन्त सिंह आयु 75 वर्ष पुत्र बच्चन सिंह
2. मंजीत कोर आयु 72 वर्ष पत्नी बलवन्त सिंह
3. जगदीश सिंह आयु 23 वर्ष पुत्र बलवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासीगण रतनपुरा हाल बन्धा रोड गायत्रीनगर अटरू थाना अटरू जिला बारां ।

अप्रार्थीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 145, 146 दं0प्र0सं0

उपस्थिति :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीः—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

निर्णय दिनाकः 13/04/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि सायल ने जर्ये अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह यह परिवाद अन्तर्गत धारा 145, 146 CRPC का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू की साबिक ख0नं0 839/1160 की 11 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 1054/1242 की 6 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1054 की 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1059/1250 की 2 बीघा कुला किता 5 का रकबा 26 बीघा आराजी स्थित है उक्त आराजी महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, कोरसिंह, चन्द्रकोर, गजन सिंह, भजन सिंह, के शामलाती खाते दर्ज थी उक्त आराजी में से चन्द्रकोर मुख्तार आम बच्चन सिंह के

माध्यम से एवं गजन सिंह, भजन सिंह द्वारा 8 बीघा आराजी को बेचान दिनांक 20.9.86 को सायल के भाई अनिल कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह के पक्ष मं कर दिया था बेचान का अनुबन्ध सब रजिस्ट्रार अटरू के यहां भी निष्पादित करवा दिया था एवं आराजी पर कब्जा भी दिनांक 20.9.86 को ही सम्भला दिया था तभी से ही 8 बीघा आराजी को सायल ही अपने भाई की ओर से काश्त करवाता चला आ रहा है जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 70 का रकबा 0.93 है0 71 की 0.58 है0, 85/1214 की 1.73 है0, ख0नं0 90 का रकबा 1.11 है0, 69 का रकबा 1.35 है0, ख0नं0 85 का रकबा 0.89 है0 बनाये गये है। विवादग्रस्त आराजी का नवीन ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 बनाया है जिसमें से 1.28 है0 पर सायल का कब्जा काश्त वर्ष 1986 से आज तक चला आ रहा है। गैर सायल क्रम 1 ने सायल के भाई को बेचान की गई आराजी ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 पर कब्जा प्राप्त करने का एक दावा न्यायालय उप जिला कलेक्टर अटरू में पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05. 2007 को खारिज कर दिया था एवं सायल के भाई अनिल कुमार सिह ने भी रजिस्ट्री कराने बाबत एक वाद न्यायालय ए.सी.जे.एम. छबडा के यहां संविदा की विशिष्ट अनुपालना हेतु पेश कर रखा है जो विचारधीन है एवं इस बाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया था जिसमें गैर सायल क्रम 1 को उक्त आराजी को रहन बेचान नही करने खुर्द बुर्द नही करने हेतु पाबन्द कर रखा है जिसकी पूर्ण जानकारी गैर सायलान क्रम 1 ता 3 को है। गैर सायल क्रम 1 ने न्यायालय ए.सी.जे.एम. छबडा के आदेश की पूर्ण जानकारी होते हुऐ भी अपने आपको गजन सिंह का फर्जी मुख्यतार आम बता कर ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 आराजी को गैर सायल क्रम 2 जो कि गैर सायल क्रम 1 की पत्नी है के नाम बेचान कर पंजीयन करवा दिया है। इस प्रकार गैर सायल क्रम 1 ता 3 ने कूट रचित दस्तावेज तेयार किया जिसकी भी कार्यवाही सायल ने गैर सायलान के विरूद्ध की थी जिसकी प्र0नं0 120/09 धारा 420, 467, 468, 471, 120 'बी' आई0पी0सी0 में थाना अटरू में दर्ज हुआ है। उक्त आराजी के कब्जे बाबत् गैर सायलान क्रम 1 लगायत 3 व सायल के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है गैर सायलान क्रम 1 ता 3 फर्जी एवं कूट रजियत रजिस्ट्री के आधार पर सायल के भाई अनिल कुमार सिंह द्वारा क्रय की गई आराजी जिसे सायल काश्त करवाता चला आ रहा है पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा सायल को बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण मौके पर शान्ती वयवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना उत्पन्न हो गई है गैर सायलान

अवैध समूह का गठन कर अपने अवैध कृत्य में सफल होना चाहते है जिसमें खून खराबा होने का पूर्ण अंदेशा है ऐसी स्थिति में मौके पर शान्ती व्यवस्था बनाये रखने के लिए विवादित आराजी ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है। चूंकि मौके पर विवाद आराजी के कब्जे काश्त को लेकर उत्पन्न हुआ है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सायल निवेदन करता है कि ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 विवादग्रस्त आराजी जो सायल के कब्जे काश्त में है पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रिसीवर नियुक्त कर काश्त व्यवस्था करवाई जावे तथा बाद सुनवाई इस्तगासा गैर सायलान क्रम 1 ता 3 को उनके कृत्य की सजा दी जावे एवं पुनः कब्जा सायल को संभलाया जावे।

2. प्रार्थी के परिवाद को दर्ज रजिस्टर करने से पूर्व थानाधिकारी अटरू को दिनांक 18.10.2010 को भेजकर जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। थानाधिकारी अटरू द्वारा अपने पत्रांक 242 दिनांक 11.01. 2013 से परिवाद की जांच रिपोर्ट पेश की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार वाकियात मामला हाजा इस्तगासा धारा 145 सी0आर0पी0सी0 का जांच हेतु फरियादी श्री विजय कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष पुत्र खेडलीगंज थाना अटरू जिला बारां द्वारा विरूद्ध बलवन्त सिंह पुत्र बच्चन सिंह , मंजीत कौर पत्नि बलवन्त सिंह, जग्गा उर्फ जगदीश सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासी रतनपुरा हाल बन्धा रोड गायत्रीनगर खेडलीगंज अटरू के पेश किया। दौराने जांच ग्राम रतनपुरा माल ख0नं0 839/1160 की 11 बीघा 11 बिस्वा , ख0नं0 1054/1242 की 6 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1054 की 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1059/1250 की 2 बीघा कुल किता 5 का रकबा 26 बीघा जमीन स्थित है। उक्त आराजी पर महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह कोर्ट से चन्द्रकौर, गजनसिंह, भजनसिंह के सामलाती खाते में दर्ज है। उक्त आराजी को चन्द्रकौर मुख्यतयारान बच्चनसिंह के माध्यम से गजनसिंह, भजनसिंह द्वारा 8 बीघा बेचान 20.09. 1986 को सायल के भाई अनिल कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह राजपूत को बेचान किया गया का अनुबन्धित सब रजिस्ट्रार अटरू के यहां पर भी निस्पादित करवा दिया गया था जब से ही 20. 09.1986 से 8 बीघा जमीन पर कब्जा चला आ रहा था। उक्त जमीन को बेच कर पंजाब चले गये थे। जब से परिवादी काश्त करता आ रहा है। श्रीमान के न्यायालय में भी वाद पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है। उकत भूमि का वाद श्रीमान ए0डी0जे0 सा0 छबडा में वर्तमान में जैरकार

है। वर्तमान में उक्त भूमि पर मंजित कौर बलवन्त सिंह जगदीश सिंह पुत्र बलवन्त सिक्ख काश्त कर रहा है। भूमि पर दोनों पक्षों में कभी भी जमीन काश्त करने के उपरोक्त कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। पूर्व में भी थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 120/2009 धारा 420, 467, 468, 120 बी आई0पी0सी0 में दर्ज किया गया था जिसमें एफ.आई.आर. अदम सिगनेचर में भी दी गई। तथा वर्तमान में वाद श्रीमान ए0डी0जे. छबडा में चल रहा है। कभी भी सधेय अपराध घटित हो सकता है उक्त जमीन को धारा 146 सीआरपीसी में रिसीवर करने की कृपा करें ताकि इलाका हाजा में शान्ती भंग हीं हो सके । बयानात गवाहन लिये गये। सम्पूर्ण जांच से मामला दोनों पक्षों में जमीनी विवाद काश्त के संबंध में झगडा होने की सम्भावना क्यों कि एक पक्ष द्वारा स्टाम्प पर जमीन खरीदी गई व एक पक्ष द्वारा मुस्तासायल से बेचान की गई है। इसी बात लेकर गैरसायलान सायल से खरीदारी के संबंध वापस मध्यान्ती आने व बदल जाने से वापस परिवादी द्वारा खरीदी गई जमीन पर गैरसायलान ने कब्जा कर लिया है। दोनों के मध्य जमीनी विवाद होने से उक्त जमीन को रिसीवरी किया जाने की कृपा करे। ताकि इलाका हाजा में शान्ती कायम रह सके। जांच रिपोर्ट सम्पूर्ण दस्तावेज के श्रीमान की सेवा में पेश है।

3.

4. दौराने जांच परिवाद में बयान फरियादी लिये गये रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खाता संख्या 32 खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी हरनारायण, उसके चाचा गोकुल प्रसाद की सामलाती खाता दर्ज है जिस पर परिवादी नरेन्द्र कुमार कब्जे काश्त है। दिनांक 22.07.2021 को मुलजिम शम्भुराज पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल, सोनु पुत्र शम्भुराज, मोनु पुत्र शम्भुराज ने जबरन हांक कर कब्जा कर लिया है । उक्त प्रकरण के संबंध में गैरसायल शम्भु पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल को थाने पर तलब किया गया दोनों से जमीन हांकने बाबत् मन् एएसआई द्वारा बातचीत की तो कहने लगा कि जमीन हमारे पिताजी ने सायलों/परिवादी से खरीदी थी और हमारा कब्जा है। जमीन तो हमही हांकेंगें। रेवन्यू रिकॉर्ड के अनुसार परिवादी नरेन्द्र के परिवारजन के खाते दर्ज है। चूंकि मामला जमीनी विवाद का होने से गैरसायलान मरने–मारने की बात कर रहे है और इस जमीन को लेकर पूर्व में भी गैरसायल के खिलाफ थाना अटरू में प्रकरण संख्या

229/2013 अंतर्गत धारा 323,324,308,427 व 34 आईपीसी दर्ज होकर गैरसायल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। गैरसायल को आजाद छोडा गया तो हत्या जैसा अपराध घटित कर सकते है। अतः गैरसायल को हस्वदफा 151 सीआरपीसी में अदम अदखाल जमानत गिरफतार किया जाकर वाद जामातलाशी बन्दहवालात सिपुर्द पहरा संतरी किया गया। गैरसायलान को पेश न्यायालय किया गया। जिनको 50–50 हजार रूपये के जमानत मुचलको पर 6 माह के लिये पाबन्द किया गया है। इस प्रकार दुसरे पक्ष द्वारा दिनांक 27.07.2021 को कार्यालय श्रीमान सीओ साहब अटरू से परिवादी श्री आशिष यादवेन्द्र पुत्र शम्भुराज जाती अहीर उम्र 30 साल निवासी कुन्जेड थाना अटरू द्वारा पेश किया हुआ परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि मे आशिष यादवेन्द्र पुत्र शम्भुराज जाती अहीर उम्र 30 साल निवासी कुन्जेड थाना अटरू का रहने वाला हूँ। मे सुबह 7.00 एएम से समय 3.00 पीएम तक बारां मे एएनम टी मे ओर तत्पश्चात आपके कार्यालय मे हूं। श्रीमान आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे घर वाले हमारी खरीदी हुयी जमीन जिस पर हमारा 1990 से कब्जा है और उस पर राजस्थान रेवन्यु बोर्ड अजमेर मे धारा 183–188 पर प्रकरण विचाराधीन है जब घरवाले 9.00 एम पर खेत हाँक कर घर आये हमारे खाता वाले खेत खसरा न1883/763 पर हाकने गये तो नरेन्द्र सोनी राजेन्द्र सोनी सत्यनारायण सोनी पुत्र हरनारायण, सोनी के गुन्डो ने आकर धमकाया ओर जान से मारने की घमकी दी साथ ही पिस्टल लहराई जो राजेन्द्र सोनी जेसी है गुन्डे पानाचन्द अहीर दोलतपुरा जगदीश अहीर दोलपुरा थे कह कर गये कि पुलिस प्रशाशन हमारे साथ है जमीन पर कब्जा कर मोका स्तिथी बदल देगें। उक्त आदमीयों को पाबन्द करे। आदी परिवाद की जांच की गई परिवादी से बयान बाबत कहां तो बताया कि मे मोके पर नहीं था मेरे पिताजी शम्भु ने मुझे बताया था बयान गवाह शम्भुराज व जगदीश के लिये गये। परिवाद बाबत दोनो पक्ष जमीन पर अपना अपना कब्जा बताते है रेवन्यु रिकॉर्ड मे जमीन नरेन्द्र सोनी के नाम खाता दर्ज है। दोनो पक्षो का अजमेर बोर्ड मे प्रकरण विचाराधीन है। गेरसाईलान को पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। अत इस्तगासा 107–116 (3) सीआरपीसी का मुर्तीब कर श्रीमान की सेवा मे पेश किया जा चुका है। जो न्यायालय श्रीमान मे विचाराधीन है। दिनांक 28.07.2021 को भी परिवादी शम्भुराज पुत्र देवलाल जाती अहीर उम्र 55 साल निवासी कुन्जेड द्वारा थाना पर परिवाद पेश किया गया है कि नरेन्द्र सोनी के आदमीयो द्वारा मुझे मोबाईल

फोन पर जान से मारने की धमकिया दी जा रही है। उक्त परिवाद मे गेरसाईलान के विरूद्ध इस्तगासा 107–116 (3) सीआरपीसी का न्यायालय मे पेश किया जा चुका है। उक्त भूमी के बारे विवरण निम्न प्रकार है कि माल कुन्जेड में खाता संख्या 32 खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 भूमी खाता धारक नरेन्द्र पुत्र हरनारायण जाती सुनार के खाते व खाता संख्या 511 खसरा न. 510 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 511 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 512 रकबा 0.48 है0 एवं खसरा न. 516 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 भूमी खाता धारक गोकुल प्रसाद पुत्र गणपत हिस्सा 1/6 व राधाबाई पुत्री गणपत हिस्सा 1/6 व सुन्दरबाई पुत्री गणपत हिस्सा 1/6 व हरनारायण पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/2 खाता दर्ज है। जमाबन्दी सलग्न है उक्त भूमी दिनांक 02.07.1990 को हरनारायण पुत्र किशनलाल ने 82000 रूपये मे देवलाल अहीर को बेचान कर 30000 रूपये प्राप्त कर कब्जा दिया था। तब से देवलाल पुत्र नारायण जाती अहीर जमीन पर कब्जा कास्त है। यह कि हरनारायण पुत्र किशनलाल सुनार की मृत्यु के बाद जमीन परिवार जन के खाते दर्ज हो गई। जिस पर हरनारायण की पत्नि कमला देवी द्वारा न्यायालय श्रीमान एसडीएम साहाब अटरू मे वाद संख्या 21/2014 बनाम देवलाल धारा अन्तर्गत 183–188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया। जिसमे न्यायालय एसडीएम अटरू द्वारा दिनांक 27.06.2014 द्वारा निर्णय कर डिक्री पारित की गई। व दिनांक 21.07.2014 को जमीन पर कब्जा तहसीलदार अटरू द्वारा कब्जा कमलादेवी को दे दिया गया। तब से कमलादेवी व परिवार जन काबिज कास्त है। कब्जा हाकने बाबत दलाल के लडको के विरूद्ध थाना अटरू पर प्रकरण संख्या 229/2013 धारा 323, 324, 308, 427, 34 आईपीसी दर्ज होकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया था। जो न्यायालय मे विचाराधीन है। यह कि श्रीमान एसडीएम साहब अटरू के निर्णय दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध देवलाल पुत्र नारायण द्वारा भु प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधीकारी कोटा मे अपील संख्या 118/2014 व 119/2014 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 13–12–2016 को किया गया व श्रीमान एसडीएम साहब अटरू के निर्णय दिनांक 27.06.2014 को अपास्त कर दिया गया। भु प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रधीकारी कोटा के निर्णय के विरूद्ध कमलादेवी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे 06.02.2017 को अपील पेश की है जो विचाराधीन है। यह कि

दिनांक 27.06.2021 को परिवादी नरेन्द्र पुत्र हरनारायण सोनी द्वारा उक्त जमीन के बारे मे जमीन पर जबरन कब्जा करने बाबत रिपोर्ट पेश की है जिस पर मुकदमा न. 210/2021 धारा 447–143 भादस दर्ज होकर के पुलिस पेनडिंग है। सम्पूर्ण हालात को देखते हुये श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भुमी के मामले को लेकर के कभी भी दोनो पक्ष आपस मे झगड़ा कर हत्या जेसा संगीन अपराध घटित कर सकते है। अतः भूमी का रिसीवर नियुक्त करने की कृपा करें ताकि ईलाका हाजा में शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

3. थाना अधिकारी अटरू से प्राप्त इस्तगासा के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस्तगासा के आधार पर प्रकरण स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित ग्राम कुन्जेड की आराजी खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 तथा खसरा न. 510 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 511 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 512 रकबा 0.48 है0 एवं खसरा न. 516 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 से संबंधित होने और पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 229/2013 अन्तर्गत धारा 323, 324, 308, 427 व 34 आईपीसी, दर्ज इस्तगासा दिनांक 26.07.2021 अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) व 151 सीआरपीसी एवं थानाधिकारी अटरू के मौखिक बयानो के आधार पर शान्ति भंग होने की संभावना के मध्य नजर धारा 145 (1) सीआरपीसी का प्राथमिक आदेश जारी कर पार्टी नं. 1 एवं पार्टी न. 2 की तलबी जर्ये नोटिस धारा 145 (3) सीआरपीसी के अनुसार की गई। पार्टी नं. 1 की ओर से श्री मोहनलाल सुमन एड़0 द्वारा एवं पार्टी नं. 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

4. पार्टी न. 1 द्वारा जबाब इस्तगासा पेश किया कि ग्राम एवं माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खाता संख्या 32 खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कुन्जेड में ही प्रार्थी के पिता हरनारायण एवं चाचाजी गोकुल प्रसाद जी वगैराह के शामलाती खाते के आराजी खाता संख्या 511 खसरा न. 510 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 511 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 512 रकबा 0.48 है0 एवं खसरा न. 516 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 स्थित है। उक्त दोनो खातो की आराजी मौक पर चक के रूप में स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थी ने हकवा जुतवा कर फसल बोने योग्य कर रखा था कि आज दिनांक 22.07.2021 को मुलजिम शम्भुराज पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल,

सोनु पुत्र शम्भुराज, मोनु पुत्र शम्भुराज जातिगण गुर्जर निवासी कुन्जेड थाना अटरू अन्य 8–10 व्यक्तियों को साथ लेकर धारिया, गड़ासी, तलवारें एवं लकडियों के प्राणघातक हथियारों से लेश होकर हंसराज पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी कुन्जेड एवं अफसर अली पुत्र ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कुन्जेड के ट्रेक्टरों को किराये पर ले जाकर जबरन दादागिरी के बलबूते पर प्रार्थी एवं उसके पिता एवं चाचाजी की हाजरी में अनाधिकृत रूप से अतिचार कर हांक कर फसल उड़द एवं तिल्ली बो दी। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी को पप्पू शर्मा द्वारा फोन पर देने पर उक्त आराजी में बोई हुई फसल को देख कर में अटरू आया हूं। उक्त आराजी को लेकर पूर्व में भी उक्त व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के साथ गम्भीर मारपीट की थी तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त आराजी में जबरन फसल बो दी है तथा प्रार्थी भी उक्त व्यक्तियों के द्वारा बोई फसल को पलट कर फसल बोने खेत पर जाने की सूरत में प्रार्थी एवं उक्त व्यक्तियों के बीच कतलेआम होने की संभावना पैदा हो चुकी है। प्रार्थी के भाई सत्यनारायण द्वारा दिनांक 08.04.2021 को उक्त व्यक्तियों द्वारा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर रिपोर्ट थाना हाजा में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट पर थाना हाजा द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध उपजिला कलक्टर महोदय, अटरू के समक्ष न्यायालय में इस्तगासा भी पेश कर दिया था। जिसमें उक्त मुल्जिमान को पाबन्द फरमाया गया था। पाबन्द होने की कोई परवाह नहीं करते हुए भी उक्त व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करके न्यायालय के आदेश की बोण्ड भंग किया है। इस वजह से उक्त आराजी काश्त को लेकर आजकल में गंभीर घटना घटित होने की पूर्ण संभावना है। तथा पूलिस इमदाद से प्रार्थी को आराजी मे फसल बुवाई करवायी जावें। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अटरू द्वारा दौराने जांच राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 प्रार्थी के खाते दर्ज स्थित है तथा प्रार्थी के पिता हरनारायण एवं उसके चाचा गोकुल प्रसाद की शामलाती खाता दर्ज है। उक्त जमीन पर दिनांक 22.07.2021 को शम्भुराज पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल, सोनु पुत्र शम्भुराज, मोनु पुत्र शम्भुराज ने जबरन हांक कर कब्जा कर लिया है । उक्त प्रकरण के संबंध में गैरसायल शम्भु पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल को तलब किया गया दोनों से जमीन हांकने बाबत् बातचीत की तो कहने लगा कि जमीन हमारे पिताजी ने खरीदी थी। हमारा कब्जा है। जमीन तो हमही हांकेंगें। जबकि रेवन्यू रिकॉर्ड के अनुसार परिवादी नरेन्द्र के एवं परिवारजन के खाते दर्ज है। चूंकि मामला जमीनी विवाद

का होने से मरने–मारने की बात कर रहे है और इस जमीन को लेकर पूर्व में भी गैरसायल के खिलाफ थाना अटरू में प्रकरण संख्या 229/2013 अंतर्गत धारा 323, 324, 308, 427 व 34 आईपीसी दर्ज होकर गैरसायल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। गैरसायल को अगर आजाद छोडा गया तो हत्या जैसा अपराध कर सकते है। अतः गैरसायलान शम्भूराज, जगदीश वगै0 को 151 द0प्र0स0 मे गिरफतार किया जाकर न्यायालय मे पेश करने पर 50–50 हजार रूपये के जमानत मुचलको पर 6 माह के लिए पाबन्द किया गया हैं। यह कि उक्त आराजी बाबत् माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय, अटरू के यहा एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 का गैर सायल नरेन्द्र सोनी के पिता हरनारायण माता कमलादेवी की ओर से प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 27.06.2014 को डिक्री फरमाया जा चुका हैं। और उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 22.07.2014 को गैर सायल देवलाल को बेदखल करके हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के पिता को आराजी पर कब्जा सम्भला दिया था। तभी से गैर सायल नरेन्द्र सोनी एवं उसके परिजन शान्ती पूर्वक काश्त करते चले हा रहे थें। यह कि गैर सायल देवलाल द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहा अपील प्रस्तुत की थी। जिसमे दिनांक 13.12.2016 को निर्णय पारित कर उक्त निर्णय दिनांक 27.06.2014 को अपास्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ पैरा न. 10 मे किये गये विवेचन कर तदउपरान्त विधी सम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली को माननीय न्यायाल को रिमाण्ड कर दी गई। यह कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2016 के विरूद्ध गैर सायल के माता पिता हरनारायण, कमलादेवी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा अपील प्रसतुत की गई है जिसमे दिनांक 06.02.2017 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय को स्थगित फरमा रखा हैं। यह कि गैर सायल नरेन्द्र सोनी विवादग्रस्त आराजी को दिनांक 22.07.2014 से निरन्तर स्वंय एवं पांती काश्त पर करवाता चला आ रहा था कि इस दौरान गैर सायल देवलाल, शम्भूराज, जगदीश एवं अन्य ने मिलकर गैर सायल नरेन्द्र सोनी के साथ जानलेवा हमला कर गम्भीर मारपीट की जिसका मुकदमा न्यायालय ए.डी.जे. साहब अटरू के यहा विचाराधीन हैं। यह कि गैर सायल देवलाल, शम्भूराज, जगदीश अन्य ने मिलकर गैर सायल नरेन्द्र सोनी के खाते एवं शामलाती की आराजी पर दिनांक 22.07.2021 को जबरन हांक जोत कर कब्जा कर लिया है जिसकी रिपोर्ट थाना अटरू में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस थाना अटरू ,द्वारा

देवलाल, शम्भूराज वगै0 के विरूद्ध मुकदमा नं. 210/2021 अन्तर्गत 447, 143, भा0द0स0 में पंजीबद्ध किया गया है। यह कि दिनांक 05.02.2022 को गैर सायल नरेन्द्र सोनी अपने स्वामित्व के खेत पर सांय 5:30 बजे गया तो उक्त व्यक्ति शम्भूराज, जगदीश वगै0 प्राणघातक हथियार धारिया, गण्डासी, लकडिया लेकर बेठे हुये थे। गैर सायल नरेन्द्र सोनी को देखते ही उक्त गैर सायलान सायल नरेन्द्र सोनी को मारने दौडे तो वहा सायलान ने मोटरसाईकिलो से पीछा कर अवैध देशी कट्टो से फायर किया निशाना नही लग पाने से गैर सायल नरेन्द्र सोनी अपने प्राण बचाकर वहा से आकर थाना अटरू में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिस पर थाना अटरू द्वारा कार्यवाही नही करने पर गैर सायल नरेन्द्र सोनी द्वारा श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय बारां को दिनांक 11.02.2022 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। यह कि पुलिस थाना अटरू द्वारा सम्पूर्ण जांच के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है जिसमें आराजी को विवादित माना गया है तथा उक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षों के मध्य गम्भीर घटना घटित होना तथा कत्ल होना पाया गया हैं तथा भविष्य मे दोनो पक्षो के मध्य शान्ती व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना है इस वजह से इस्तगासा में वर्णित आराजीयात पर न्यायहित में रिसिवर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया हैं। तथा गैर सायलान शम्भूराज, जगदीश वगै0 द्वारा फसल सरसो काटकर तैयार कर ले गये हैं। उस फसल को जप्त कर राज सरकार ली जावें। यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें। अतः माननीय न्यायालय में गैर सायल नरेन्द्र सोनी जवाब पेश कर निवेदन करता है कि पुलिस थाना अटरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0स0 के आधार पर विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल कुन्जेड पर रिसिवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

5. पार्टी न. 2 द्वारा जबाब इस्तगासा पेश किया कि ग्राम एवं माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खाता संख्या 32 खसरा नं. 508 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 509 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नं. 515 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 स्थित है। एवं खाता संख्या 511 खसरा न. 510 रकबा 0.71 है0, खसरा न. 511 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 512 रकबा 0.48 है0 एवं खसरा न. 516 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 स्थित है। यह कि खाता संख्या 511 की कुल किता 4 का कुल रकबा 2.28 है0 भूमि खाता धारक गोकुल प्रसाद पुत्र गणपत हिस्सा 1/6 व राधाबाई पुत्री गणपत हिस्सा 1/6 व सुन्दरबाई पुत्री गणपत हिस्सा 1/6 व हरनारायण पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/2 खाता दर्ज है।

उक्त भूमी को दिनांक 02.07.1990 को हरनारायण पुत्र किशनलाल ने 82000/– रूपये में पार्टी न. 2 के देवलाल अहीर को बेचान कर साई पेटे 30000/– रूपये प्राप्त कर कब्जा दिया था। तब से उक्त भूमि पर देवलाल जी पार्टी न. 2 का कब्जा कास्त चला आ रहा है। खातेदार हरनारायण जी के मृत्यु के बाद उक्त जमीन परिवारजन के खाते दर्ज हो गई। जबकि हरनारायण जी ने बेचान पेटे ली गई राशि के पश्चात रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन देवलाल जी को दिया था। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद पार्टी नं. 1 के परिवारजन के मन में बद्यान्ति आ गई और उनने बेचान की रजिस्ट्री का पंजीयन करवाने से स्पष्ट मना कर दिया तथा तब पार्टी न. 2 के देवलाल जी के विरूद्ध हरनारायण के वारिसान ने एक वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 04.07.2005 को पार्टी न. 2 के देवलाल पुत्र नारायण के पक्ष में किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था कि वह अप्रार्थी देवलाल की भूमि कुल किता 5 की 2.35 है0 पर शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। जिसकी नकल संलग्न है। उक्त निर्णय के विरूद्ध पार्टी न. 1 के वारिसान ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की थी जिस पर यथावत रखा था। जिस पर उनके द्वारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में अपील पेश की गई थी जो विचाराधीन है जिसमें नकल जमाबन्दी में नोट लगा हुआ है। यह कि उक्त सभी कार्यवाहियों से थानाधिकारी अटरू को अवगत करवा दिया गया था। परन्तु कोई उचित कार्यवाही नही कर उनने माननीय न्यायालय में गलत तरीके से धारा 145 द0प्र0सं0 के तहत परिवाद पेश किया है। जो मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है। क्योंकि उक्त इस्तगासे में अन्य पक्षकारान को भी पार्टी नही बनाया गया।

6. प्रकरण में विवाद के समय विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जेदार का अभी निर्धारण करने के लिए धारा 145(4) सीआरपीसी. के अधीन तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मौका मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.02.2022 को स्वयं विवादित भू स्थल पर जाकर पडौसी काश्तकार एवं स्थानिय ग्रामिणों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार कर पेश की जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

- वर्तमान में ख0नं0 508 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 509 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 515 रकबा 0.46 है0, 510 रकबा 0.71 है0, ख0नं0 511 रकबा 0.43 है0, ख0न0 512 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 516 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 514 रकबा 0.03 है0 भूमि पर मुताबिक ग्राम वासीयान एवं समीपस्थ खातेदारान

द्वारा फसल काश्त शम्भूराज पुत्र देवलाल, देवलाल पुत्र देवलाल जाति अहीर निवासी कुन्जैड द्वारा किया जाना बताया गया। वर्तमान में फसल कर चुकी है।

- दिनांक 18.08.2021 को भी मुताबिक समीपस्थ काश्तकार एवं ग्राम वासीयान के आधार पर उपरोक्त भूमि पर शम्भूराज पुत्र देवलाल जगदीश पुत्र देवलाल जाति अहीर निवासी कुंजैड का ही कब्जा काश्त बताय गया है।
- बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6 के अनुसार विगत 25–30 वर्षों से उक्त भूमि पर उपरोक्त शम्भूराज पुत्र देवलाल, जगदीश पुत्र देवलाल जाति अहीर निवासी कुन्जेड का ही कब्जा काश्त बताया गया है। मौके पर उपस्थित दक्षिणी दिशा की तरफ खातेदार श्री कुलदीप पुत्र श्री भोजराज जाति अहीर निवासी कुन्जेड तथा पूर्व दिशा में खेत के खातेदार उजागर सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी कुन्जेड तथा उत्तरी दिशा के खेत के कृषक श्री रामदयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी कुन्जेड उपस्थित रहे तथा इन्ही के द्वारा भूमि की मौका स्थिति के संबंध में बयान दिये गये। मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रथम पक्ष अनुपस्थित व द्वितीय पक्ष उपस्थित रहे।

7. प्रार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत p2W1 देवीलाल पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी कुन्जेड द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि मेने ग्राम कुन्जेड की हरनारायण, गोकुलप्रसाद व हरनारायण की पत्नी कमला बाई की खाते की भूमि 82000 में खरीदी थी। जिसका मेने 1990 में स्टाम्प लिखवाया था। मेंने उक्त भूमि 82000 में खरीदकर 30000 रू साई के रूप में दे दिये थे। स्टाम्प लिखवाया उस दिन मेने 20,000 रू नकदी दिये व 5000 य उक्त जमीन पन्नालाल को व 2000 रू भील को रहन के पैसे देकर कब्जा छुडवाया। बाकी की रकबा 25000 रू ताज मोहम्मद व महावीर प्रसाद के मेरे साथ बारा जाकर दी और रात को हरनारायण के घर पर रहे। हरनारायण ने कहा कि तुम सुबह जाकर रजिस्ट्री करवालो। हम अटरू आये तो तहसीलदार जी 15–20 दिन की छुट्टी पर थे इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो पायी तभी से उक्त 18 बीघा भूमि मेरे कब्जे में चली आ रही है। अभी मेरा कब्जा है जिसमें मेने सरसो की फसल काटी है। इसमें किसी प्रकार का लडाई झगडा नहीं हुआ। मेरे उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाई जावे। अभी उक्त भूमि का केस अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। अजमेर से अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। हमारे को कोई स्टे नहीं मिल रहा है। अजमेर अपील का फैसला नहीं हुआ है। अभिभाषक पार्टी नं0 1 मोहनलाल सुमन द्वारा गवाह देवीलाल से जिरह की गई कि यह भूमि मेरे खाते की

नहीं है मेने तो खरीदी है। मेने खरीदने का स्टाम्प पत्रावली में लगाया है लेकिन वह स्टाम्प पत्रावली में नहीं है। मेरे खिलाफ व मेरे बच्चों के खिलाफ नरेन्द्र सोनी ने कितनी बार रिपोर्ट करवाई है मुझे पता नहीं है। मुझे यह भी पता नहीं है कि मेरे बच्चों को 107, 151 में दो बार पुलिस ने पेश किया है। यह कहा गलत है कि 22.07.2021 को हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नरेन्द्र सोनी द्वारा दर्ज करवाई है और जिसमें मेरे बच्चों की जमानत भरी हों । यह सही है कि पुलिस तो मेरे व मेरे बच्चों के पिदे पडी रहती है। पुलिस मेंरे घर पर एक बार आई है।

साक्ष्यगवाह पार्टी नं0 2 के p2W2 अधीन शंभूराज पुत्र देवलाल जाति अहिर ने सशपथ बयान किया कि देवीलाल मेरे पिता जी हैं। देवीलाल जी ने हरनारायण सोनी से जमीन खरीदी जो 82000 में खरीदी थी जिसकी पूरी रकम अदा करदी। हम रजिस्ट्री कराने आये लेकिन वो नहीं आये तो रजिस्ट्री नहीं हुई। मेरे पिता ने यह भूमि खरीदी तब से हमारा कब्जा चल रहा है। जिसका अजमेर रेवन्यू बोर्ड में केस चल रहा है। जिसमें स्टे ओर्डर भी है। अभी हमने इस भूमि में सरसो की फसल बोई थी। इस भूमि पर हमें काश्त करने में कोई परेशान नहीं कर रहा ना ही किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा हुआ। अभिभाषक पार्टी नं0 1 मोहनलाल सुमन द्वारा गवाह शंभूराज से जिरह की गई कि यह जमीन मेरे व मेरे पिताजी के खाते में नहीं है। हमने जमीन क्रय करने के बाद खाते बंधाने की कार्यवाही की या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी नही है कि उपजिला कलक्टर अटरू के न्यायालय से हरनारायण सोनी व कमलादेवी के पक्ष में फैसला हुआ हो व पटवारी व कानूनगो के मौके पर जाकर कब्जा संभलाया हो। दिनांक 22.07.2014 को पटवारी द्वारा उक्त विवादित आराजी पर खातेदारान को कमलादेवी को कब्जा संभलाया हो यह मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे खिलाफ दिनांक 22.07.2021 से अभी तक कोई लडाई झगडा नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कहना गलत है कि थाना अटरू ने मेरे को 107, 151 में दो बार बंद किया हो जिसमें परिवादी नरेन्द्र कुमार रहा है। यह गलत है कि हमारे खिलाफ थाना अटरू में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो व हमारी जमानते थाने में भरी हो। यह सही है कि पिछले 12 महिनों में हम थाना अटरू व चौकी कुन्जैड के दफतर में एक बार भी नहीं आये। आज की तारीख में भी यह जमीन हरनारायण कमलादेवी व नरेन्द्र के स्वामित्व की है। यह कहना गलत है कि हमने पिछले साल दादागिरी के बलबूते पर कब्जा कर काश्त की है।

प्रार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह के p2W3 अन्तर्गत धीरेन्द्र यादव पुत्र शम्भूराज यादव के शपथ ब्यान लेखबद्ध किये गये। शपथ बयानों में गवाह द्वारा बताया कि मेरे दादाजी देवलाल

पुत्र नारायण जी ने मेरे जन्म के समय सन 1990 में हरनारायण सौनी व कमलादेवी व गोकुल से लगभग 20 बीघा भूमि खरीदी थी। जिसका स्टाम्प हरनारायण जी ने सबके हिस्से का सौदा करके स्वयं के हस्ताक्षर से देवलाल के नाम लिखवाया था एवं जमीन पर कब्जा दे दिया था। उसके बाद मेरे दादाजी ने उस जमीन की पूरी रकम दे दी थी तथा रजिस्ट्री कराने अटरू आने के लिए कहा था लेकिन उनके बेईमानी आ गयी व रजिस्ट्री नहीं करवाई, जिसका मेंने स्टाम्प लिखा हुआ देखा था। तभी से उक्त भूमि मेरे दादा के कब्जे में चली आ रही है। इसका केस अभी राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहा है जिसमें स्टे ऑर्डर हो रहा है। अभी वर्तमान में उक्त खेत मेरे दादा एवं पिताजी तथा मेरे चाचा उक्त खेत में काश्त करते आ रहे है। हरनारायण के पुत्र बारां से गुण्डो को भेजकर हमे धमकी दिलवाता है।

प्रार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह के p2W4 अन्तर्गत रामचन्द्र सुमन पुत्र नेनकीराम सुमन निवासी दीवाली का 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित गवाह बयान पेश किये कि में रामचन्द्र सुमन पुत्र श्री नेनकीराम सुमन हाल मुकाम दीवाली का रहने वाला हूं। मैं बोरिंग मशीन पर एजेन्ट के रूप में कार्य करता हूं जो कि मेरे द्वारा देवीलाल जी अहीर पुत्र नारायण अहीर कुन्जेड के खेत जो कि जीरोद रोड पर है और जिस पर इमली का पेड़ है व 20 बीघा के करीब जमीन है इस भूमि पर मेरे द्वारा बोर(नलकूप) किया गया था जिसकी उस समय गहराई लगभग 220 फीट की थी। जिसकी रकम मेने देवलाल जी से बीच बजार में नेमीचन्द जी जैन की दुकान पर ली थी। ये बोरिंग सन 1992 में मेरे द्वारा किया गया था।

8. पार्टी नं0 1 द्वारा साक्ष्यगवाह p1W1 के अन्तर्गत नरेन्द्र सोनी पुत्र हरनारायण निवासी बारां के शपथ ब्यान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यगवाह द्वारा अपने बयानों में बताया कि हरनारायण जी व कमलाबाई मेरे माता पिता है। करीब 20 बीघा इनके खाते की जमीन ग्राम कुंजेड में है। एसडीओ कोर्ट अटरू द्वारा उक्त जमीन का 2014 में कब्जा संभलाया था। इस जमीन पर वर्ष 2014 के बाद से ही हम ही काश्त कर रहे है। पप्पू उर्फ रघुराज पुत्र रामप्रसाद जी जाति ब्राहमण निवासी कुंजेड से हमने 2014 से 2021 तक मुनाफे से काश्त करवायी है। पिछले वर्ष 2021 में मैं जमीन को हाक कर आया था तो देवीलाल व उसके परिवार वालों के जबरन कब्जा कर फसल बो दी। उसके बाद हमने तीन बार थाना अटरू में मुकदमा दर्ज कराया। मैने पुलिस अधीक्षक महोदय बारां व जिला कलक्टर महोदय बारां में भी परिवाद पेश किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसमें देवलीलाल व उसके परिजनों को बंद भी किया था। जमीन हमारे खाते की है अगर हम

काश्त करने जायेगें तो कोई भी विवाद या अप्रिय घटना हो सकती है। अभिभाषक पार्टी नं0 2 श्री सुरेश शर्मा द्वारा जिरह की गई कि मैं ग्राम कुंजैड के महावीर को जानता हूॅ। यह कहना गलत है कि महावीर शर्मा व ताज मो. ने देवीलाल अहीर को मेरी जमीन का शोदा करवाया है जिसका एस. डी.ओ. कोर्ट अटरू में केस चला हो जिसका 2014 में फैसला हुआ था। फैसले में हमारे पक्ष में आदेश हुआ था। जिसकी अपील आर0ए0ए0 कोटा में हुई थी जिसमें आर0ए0ए0 कोटा ने अटरू कोर्ट के आदेश को अपास्त कर दोबारा फाईल को रिमाईण्ड कर दी थी। जिसके बाद मैं आर0ए0ए0 के फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड चला गया। यह कहना गलत है कि अटरू अदालत से देवीलाल के पक्ष में स्टे दिया है। जो अटरू न्यायालय ने स्टे ऑर्डर का फैसला दिया उसको मैं नहीं मानता बल्कि रेवेन्यू बोर्ट, अटरू से काश्तकार के पक्ष में फैसला हुआ है। हमने एस0डी0ओ0 कोर्ट के फैसले व स्टे ऑर्डर की कोटा अपील की थी। आर0ए0ए0 कोटा ने स्टे ऑर्डर को बहाल रखा था यह मेरी जानकारी में नहीं है। अभी रेवेन्यू बोर्ड में केस चल रहा है। जमाबन्दी में जो नोट लग रहा है वह षडयंत्र पूर्वक लगाया गया है। अभी देवीलाल जी की उम्र 80 साल है ताज मो0 व महावीर जी की उम्र भी 60–70 साल होगी। पार्टी नं0 1 को बार–बार अवसर दिये जाने के बाबजूद भी शेष साक्ष्य गवाह पेश नहीं किये अतः शेष साक्ष्य गवाह पार्टी नं0 1 बन्द किये गये।

9. अभिभाषक पार्टी नं0 1 एवं अभिभाषक पार्टी नं0 2 की बहस सुनी गई। उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दिनांक 24.02.2022, न्यायालय उपजिला कलक्टर अटरू के निर्णय दिनांक 04.07.2005 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0, न्यायालय भू0प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.08. 2006, न्यायालय उपजिला कलक्टर अटरू के निर्णय दिनांक 27.06.2014, न्यायालय भू0प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2016 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज अपील संख्या 344/2017 में जारी स्थगन आदेश की आर्डर शीट की प्रतिलिपी, पार्टी नं0 2 द्वारा 100 रू के स्टाम्प पेपर पर पेश बोरवेल कंपनी के मालिक रामचन्द पुत्र नेनकी राम सुमन निवासी दीवाली के गवाह बयान, पार्टी नं0 2 देवलाल अहीर द्वारा कब्जे काश्त के सबूत के रूप में पेश विवादित आराजी के फोटोग्राफ दिनांक 21.02.2022 एवं विवादित आराजी की सी0डी0, पार्टी नं0 1 द्वारा पेश अपंजिकृत परिवाद रिपोर्ट दिनांक 18.02.2014 (थाने की प्राप्ति सील नहीं है), अपंजिकृत परिवाद दिनांक 16.09.2020

(थाने की प्राप्ति सील नहीं है) एवं दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या 0210 दिनांक 27.07.2021, अपंजीकृत परिवाद दिनांक 11.02.2022 आदि का अध्ययन किया गया।

धारा 145 सीआरपीसी की मूल भावना विवादित भूमि या जल क्षेत्र या इनसे संबंधित सीमाओं के स्वामित्व/टाईटल/अधिकार का जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं कर दिया जाता तब तक उस सम्पति के विवाद को समाप्त कर या रोककर स्थानीय शांती व्यवस्था को बनाये रखना है। धारा 145/146 सीआरपीसी की कार्यवाही का मूल उदेश्य सक्षम न्यायालय(राजस्व/सिविल न्यायालय) द्वारा स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण तक विवादित भूमि या जल क्षेत्र के **वास्तविक कब्जेदार** का निर्धारण कर कब्जे के यथास्थिति को बनाये रखना ताकि शान्ति व्यवस्था भंग नहीं हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अपने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी सम्पत्ति के स्वामित्व/टाईटल को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद लंबित है तो उस वक्त समानान्तर रूप में धारा 145/146 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

10- In the case of Ram Sumer Puri Mahant vs State of U.P & Ors, reported in 1985 (1) S.C.C. 427. In this case it has been held as follows : "When a civil litigation is pending for the property wherein the question of possession is involved and has been adjudicated, we see hardly any justification for initiating a parallel criminal proceeding under Section 145 of the Code. There is not scope to doubt or dispute the position that the decree of the civil court is binding to the criminal court in a matter like the one before us. Counsel for respondents 2-5 was not a position to challenge the proposition that parallel proceedings should not be permitted to continue and in the event of a decree of the civil court, the criminal court should not be allowed to invoke its jurisdiction particularly when possession is being examined by the civil court and parties are in a position to approach the civil court for interim orders such as injuction or appointment of receiver for adequate

protection of the property during pendency of the dispute. Multiplicity of litigation is not in the interest of the parties nor should public time be allowed to be wasted over meaningless litigation. We are, therefore, satisfied that parallel proceedings should not continue."

11. धारा 145 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करने/अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व धारा 145 की उपधारा 4 व 6 के अधीन न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को समझना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :–

Section 145(4) :– The Magistrate shall then, without reference to the marits or the claims of any of the parties, to a right to possess the subject of dispute, peruse the statements so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence, if any as he thanks necessary, and, if possible, decide whether and which of the parties was, at the date of the order made by him under Sub-Section (1), in possession of the subject of dispute;

Provided that if it appears to the Magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within two months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the Magistrate, or fater that date and before the date of this order under Sub-Section (1), he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under Sub-Section (1).

Section 145(6)– (a) If the Magistrate decides that one of the parties was, or should under the proviso to Sub-Section (4) be treated as being, in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession therof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction; and when he proceeds under the proviso to Sub-Section (4), may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed.

12. सी.आर.पी.सी. की धारा 145 के अन्तर्गत निम्न 4 बिन्दुओं पर विचार करना जरूरी हैः—

(i) विवाद दो पक्षकारों के मध्य हैः— ग्राम कुन्जैड की विवादित आराजी खाता संख्या 32 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 एवं खाता 511 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 भूमि के स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण को लेकर पार्टी नं0 1 नरेन्द्र पुत्र हरनारायण सोनी वगै0 एवं पार्टी नं0 2 देवीलाल पुत्र नारायण व शम्भूराज पुत्र देवीलाल अहीर वगै0 के मध्य विवाद है।

(ii) विवादित संपत्ति पर कब्जाः— धारा 145(4) सीआरपीसी के अधीन नियुक्त मौका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दिनांक 24.02.2022, पार्टी नं0 2 द्वारा पेश साक्ष्य गवाहन p2w1, p2w2, p2w3, p2w4, देवलाल अहीर द्वारा कब्जे काश्त के सबूत के रूप में पेश विवादित आराजी के फोटोग्राफ दिनांक 21.02.2022 एवं विवादित आराजी की सी0डी0, पार्टी नं0 2 द्वारा पेश साक्ष्य गवाह p1w1, पार्टी नं0 1 द्वारा पेश अपंजिकृत परिवाद रिपोर्ट दिनांक 18.02.2014 (थाने की प्राप्ति सील नहीं है), अपंजिकृत परिवाद दिनांक 16.09.2020, 22.07.2021 (थाने की प्राप्ति सील नहीं है) आदि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम कुन्जैड की उक्त विवादित आराजी पर इस्तगासा पेश करने के समय, दो माह पूर्व, विगत 20—25 वर्षों से वास्तविक कब्जा पार्टी नं0 2 देवीलाल पुत्र नारायण अहीर, शम्भूराज पुत्र देवीलाल व जगदीश पुत्र देवीलाल अहीर निवासी कुन्जैड का सिद्ध होता है।

(iii)वाद का सक्षम न्यायालय में लंबित होना :— उक्त प्रकरण में विवादित सम्पति कृषि आराजी है जिसके स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण के लिए धारा 207 आरटी एक्ट में सिर्फ राजस्व न्यायालय सक्षम न्यायालय है। ग्राम कुन्जैड की उक्त विवादित आराजी के स्वामित्व/अधिकारों के निर्धारण के लिए वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 344/2017 अंतर्गत धारा 225 आरटी एक्ट लंबित है जिसमें न्यायालय भू—प्रबंन्ध अधिकारी व राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2016 की पालना को स्थगित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम कुन्जैड की विवादित आराजी खाता संख्या 32 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 एवं खाता 511 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 भूमि के स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण का वाद सक्षम न्यायालय(राजस्व मण्डल अजमेर) में लंबित है।

(iv) शान्ति भंग होने कि प्रबल संभावना नहीं होना :— थानाधिकारी अटरू द्वारा पेश इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तथ्यों एवं जांच, पार्टी नं0 1 द्वारा पेश अपंजीकृत परिवाद दिनांक 18.02.2014, 16.09.2020, 08.04.2021, 22.07.2021 एवं दर्ज एफआईआर संख्या

0210 दिनांक 27.07.2021 आदि के आधार पर ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य विवादित आराजी को लेकर लडाई झगडे/मारपीट/खून–खराबा होने की प्रबल संभावना है। पार्टी नं0 1 द्वारा न्यायालय में पेश उक्त अपंजीकृत परिवाद पुलिस थाना अटरू में दर्ज रजिस्टर किये गये है या नहीं – स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार न तो पार्टी नं.0 1 द्वारा और न ही थानाधिकारी अटरू द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया है जो ये सिद्ध करता हो कि पार्टी नं0 2 को शांति बनाये रखने हेतु धारा 107/151 में कभी पाबंद किया गया हो। सीआरपीसी की धारा 145 व 146 कि कार्यवाही के लिए सिर्फ विवाद होना पर्याप्त नहीं है बल्कि शान्ति भंग होने कि प्रबल संभावना भी होनी चाहिए। शांन्ति भंग के सामान्य प्रकरणों में पुलिस को धारा 145 व 146 सीआरपीसी के स्थान पर धारा 107/151 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करना न्यायोचित होगा।

–:: <u>क्रियात्मक आदेश</u>::–

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा 145 उपधारा 6(क) सीआरपीसी के अधीन अन्तिम आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम कुन्जैड की विवादित आराजी खाता संख्या 32 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0 एवं खाता 511 कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 भूमि के स्वामित्व/टाईटल के सक्षम न्यायालय(माननीय राजस्व मण्डल अजमेर) से अभिनिर्धारण होने तक स्थानीय शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु भूमि के वास्तविक कब्जेदार पार्टी नं0 2 देवीलाल पुत्र नारायण अहीर, शम्भूराज पुत्र देवीलाल व जगदीश पुत्र देवीलाल अहीर निवासी कुन्जैड का कब्जा यथावत रखा जाता है। पार्टी नं0 1 को नरेन्द्र पुत्र हरनारायण सोनी वगै0 को पाबंद किया जाता है कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पार्टी नं0 2 देवीलाल, शंभूराज पुत्र देवीलाल वगै के वास्तविक कब्जे काश्त में न तो कोई विघ्न डालें और न ही उसे बेदखल करें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां